

बोर्ड विविधता पर नीति

विषय सूची

i. परिचय:	2
ii. उद्देश्.....	2
iii. नीति विवरण	2
iv. नीति का प्रकटीकरण	3
v. समीक्षा/ संशोधन	3

परिचय

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 19 के संदर्भ में और उक्त विनियमों की अनुसूची II के भाग D के तहत, नामांकन और पारिश्रमिक समिति ("NRC") को एक बोर्ड विविधता नीति ("नीति") तैयार करने और कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") को इसकी मंजूरी के लिए सिफारिश करने की आवश्यकता है।

यह नीति 06 जून, 2018 को बोर्ड द्वारा अपनाई गई है और सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी।

उद्देश्य

यह नीति बोर्ड पर लागू होती है और यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी का बोर्ड पूरी तरह से विविध है और इसमें महिला निदेशकों सहित विविध पृष्ठभूमि वाले स्वतंत्र निदेशकों सहित कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का एक आदर्श संयोजन शामिल है।

नीति विवरण

कंपनी का उद्देश्य अपनी संरचना में विविधता लाकर बोर्ड की प्रभावशीलता को बढ़ाना और बेहतर और उन्नत निर्णय लेने में ऐसी विविधता का लाभ प्राप्त करना है।

1. NRC कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक नीति के अनुसार, उम्र, नस्ल, जातीयता, जाति, धर्म, विकलांगता, लिंग या वैवाहिक स्थिति पर विचार किए बिना निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति(यों) की उम्मीदवारी पर विचार करेगी; और करेगी:
 - क) बोर्ड की संरचना की समीक्षा और मूल्यांकन;
 - ख) विविधता का उचित ध्यान रखते हुए, उपयुक्त रूप से योग्य उम्मीदवार(रों) की पहचान और मूल्यांकन; और
 - ग) आवश्यकता समझे जाने पर नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को ऐसे उम्मीदवार(रों) की सिफारिश करना।

NRC और बोर्ड, बोर्ड में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय, यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा चयन शैक्षिक

योग्यता, कार्यात्मक विशेषज्ञता/विशेषज्ञता, कौशल सेट और उद्योग के अनुभव को ध्यान में रखते हुए योग्यता पर आधारित हो।

2. बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्धता विनियमों और समय-समय पर संशोधित अन्य लागू कानूनों की आवश्यकताओं के अनुसार, महिला निदेशकों सहित कार्यकारी, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम बोर्ड संयोजन सुनिश्चित करेगा।

नीति का प्रकटीकरण

इस नीति को कंपनी की वेबसाइट यानी <https://www.indiamart.com> पर पोस्ट किया जाएगा। नीति के बारे में आवश्यक प्रकटीकरण भी सूचीबद्धता विनियमों और कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।

समीक्षा/संशोधन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कानून की आवश्यकताओं और कंपनी की जरूरतों को पूरा करती है, NRC द्वारा समय-समय पर इस नीति की समीक्षा की जाएगी। NRC किसी भी आवश्यक संशोधन पर चर्चा करेगी और विचार तथा अनुमोदन के लिए बोर्ड को ऐसे किसी भी संशोधन की सिफारिश करेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 या सेबी सूचीबद्धता विनियम या किसी अन्य वैधानिक अधिनियमों ("विनियम") और इस नीति के प्रावधानों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, इस नीति पर विनियम मान्य होंगे। इस संबंध में विनियमों में कोई भी संशोधन/बदलाव स्वतः इस नीति पर लागू होगा और बाद में NRC और बोर्ड द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।